



नई दिल्ली। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों के लेकर चल रही बहस के बीच कानून मंत्री कमलि सबिबल ने भाजपा पर नशाना साधते हुए कहा है कि पूर्व में इस पर प्रतिबंध की मांग करने वाली मुख्य वपिक्शी पार्टी इस मामले पर अपने पहले के रूख से पलट गई है।

सबिबल ने आज कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर कोई रूख नहीं अपनाया है, लेकिन उन्होंने कहा कि आमतौर पर यह धारणा है कि चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों के साथ हेरा-फेरी हो सकती है।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की सलाह की प्रतीक्षा की जा रही है। आयोग इस पर पाबंदी की सफिरशि करता है और सरकार उसे स्वीकार कर लेती है तो जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन की जरूरत पड़ेगी।

सबिबल ने कहा, “आम धारणा यह है कि चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में हेर-फेर हो सकती है। अगर राजनीतिक दल महसूस करते हैं कि बिना किसी बाधा के सभी के समान अवसर मिलना चाहिए तो कराय यह भी है कि हमें उसका सम्मान करना चाहिए।”

उसने सर्वेक्षणों पर कांग्रेस के उस रूख के बारे में पूछा गया था जिसमें पार्टी ने कहा कि इन पर प्रतिबंध होना चाहिए। क्योंकि ये न तो वैज्ञानिक होते हैं और न ही इनमें पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाती है।

भाजपा के इस आरोप पर कि कांग्रेस जनमानस का पूर्व इशारा करने वाली इस संदेशवाहक व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास कर रही है, सबिबल ने मुख्य वपिक्शी दल पर नशाना साधते हुए कहा, “2004 में भाजपा ही प्रतिबंध लगाने संबंधी मांग करके संदेशवाहक को मारना चाहती थी।”

सबिबल ने कहा, “4 अप्रैल, 2004 के तत्कालीन कानून मंत्री (अरून जेटली) और भाजपा ने सभी राजनीतिक दलों के साथ यह वचन दिया था कि चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों पर प्रतिबंध लगना चाहिए।”

उन्होंने कहा, “वास्तव में वपिक्शी पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने अपना रूख क्यों बदला है। अरून जेटली को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि 2004 में कानून मंत्री के रूप में उन्होंने पाबंदी का समर्थन किया था और 2013 में वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। 2004 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या हो गया था? भाजपा पलट गई है।”

कनून मंत्री ने कहा, “कंग्रेस ने अपने उसी रूख पर कयम है जो उसक 2004 में था। हमारा स्पष्ट रूख था। हमने कहा कि इस पर पूरी तरह पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इस रूख और सभी राजनीतिकदलों के वचार के बावजूद पछिले नौ वर्षों में क्या हमने चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों पर कोई रोक लगाई।”

उन्होंने कहा कि मौजूदा कनून में बदलाव के कसी क्दम के ल। जन प्रतनिधित्व कनून में संशोधन की जरूरत प।गी।

यह पूछे जाने पर कि सरकार ने इस मुद्दे पर कोई रूख अपनाया है तो मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोई रूख नहीं अपनाया है।

उन्होंने कहा, “सरकार कैसे रूख अख्तियार कर सकती है। जन प्रतनिधित्व कनून में संशोधन के बिना यह नहीं किया जा सकता। पहले चुनाव आयोग हमें अपनी सलाह देगा।”

सबिबल ने कहा कि जब चुनाव आयोग ने चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों के प्रतबंधित करने के बारे में लिखा तो उन्होंने टारनी जनरल के राय ल। बिगैर आगे ब।ने से इंकर कर दिया।

टारनी जनरल ने कहा कि चुनाव पूर्व सर्वेक्षण और चुनाव बाद सर्वेक्षण क जैसे है और इसल। अगर चुनाव बाद सर्वेक्षण पर प्रतबंध है तो यह चुनाव पूर्व सर्वेक्षण भी लागू होता है।

सबिबल ने कहा, “इसके बाद मैंने चुनाव आयोग से कहा कि वह राजनीतिकदलों से वचार-वमिर्श करे और वह प्रक्या चल रही है।”

उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि सरिफ कंग्रेस पर अभवियक्ता की स्वतंत्रता के खिलाफ होने क आरोप क्यों लगाया जा रहा है।

कनून मंत्री ने कहा, “कंग्रेस, भाजपा की तरह नहीं कि जिसने अनंत मूर्त्त के नशाना बनाया, जिसने गुजरात में जसवंत सहि की पुस्तक के प्रतबंधित कर दिया, जिसने गुजरात में आर्ट गैलरी में तो फे। की, जिसने मकबूल फिदा हुसैन क हाथ कटने की धमकी दी ... इन सब इतहास के बावजूद हमें बताया जा रहा है कि हम अभवियक्ता की स्वतंत्रता के खिलाफ है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।”

चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों के साथ छे।छ। की जा सकने से जु।ी चर्चा पर सबिबल ने कहा, “ये चर्चा वाजबि है। चुनाव पूर्व सर्वेक्षण गलत साबित हु। है।”

उन्होंने कहा, “2004 में चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में कहा गया था कि भाजपा सत्ता में वापसी करेगी और ऐसा नहीं हुआ। इस बीच कई राज्यों में चुनाव पूर्व सर्वेक्षण गलत साबित हुए। परंतु कुछ नष्पक्ष सर्वेक्षण सटीक साबित हुए।”

मंत्री ने कहा, “मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ और मुझे यह परखने की कोई विशेषज्ञता भी नहीं है कि किसी सर्वेक्षण का वैज्ञानिक आधार है या नहीं। आम धारणा यह है कि चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है।”

उन्होंने कहा, “अगर राजनीतिक दल महसूस करते हैं कि बिना किसी बाधा के सभी के लिए समान अवसर होना चाहिए तो ऐसे में कराय यह भी है कि हमें उसका सम्मान करना चाहिए।”

सबिबल ने कहा कि अगर ये सर्वेक्षण वैज्ञानिक तौर पर और ईमानदारी के साथ की जायें तो इनके प्रतिबंधित करने की कोई जरूरत नहीं है।

(भाषा)